न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 15/428

1. हरिसिंह
2. नन्दसिंह
3. शिवराज सिंह
4. लक्ष्मण सिंह पिसरान स्वर्गीय श्री भैरूसिंह कौम राजपूत निवासीगण ग्राम ठीकरदया तहसील हिण्डौली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत ठीकरदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ठीकरदा पंचायत समिति हिण्डोली।
2. सचिव, महोदय ग्राम पंचायत ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. सहायक अभियन्ता महोदय, महानरेगा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. कनिष्ठ अभियन्ता महोदय, महानरेगा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कपूर चन्द सेठिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांक: 15.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 351 रकबा 06 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करे तथा न ही उक्त भूमि के उत्तरी हिस्से पर पश्चिम से पूर्व की ओर रास्ता निकाले ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

स्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 से व्यथित होकर वादीगण लान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है और अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज है जिसके किसी भी हिस्से पर रास्ता मौजूद नहीं है और न ही राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता अंकित है तथा उक्त पूर्वी ओर कोई गॉव भी नहीं है और न ही कोई मकानात आदि बने हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जो मौका रिपोर्ट प्राप्त की है वह अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही तैयार की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार मौके पर रास्ता सिवायचक भूमि में से बना हुआ है एवं उसी पर ग्रेवल का निर्माण किया जा रहा है । उक्त रास्ता वादी को भूमि आराजी खसरा नम्बर 351 से बाहर है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार मौके ...स्त आराजी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार मौके रास्ता सिवायचक भूमि में से बना हुआ है एवं उसी पर ग्रेवल का निर्माण किया जा रहा है । उक्त रास्ता वादी को भूमि आराजी खसरा नम्बर 351 से बाहर है । अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे उसके कथनों की पुष्टि होती हो । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 22.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 15 / 428

1. हरिसिंह
2. नन्दसिंह
3. शिवराज सिंह
4. लक्ष्मण सिंह पिसरान स्वर्गीय श्री भैरूसिंह कौम राजपूत निवासीगण ग्राम ठीकरदया तहसील हिण्डौली जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत ठीकरदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ठीकरदा पंचायत समिति हिण्डोली।
2. सचिव, महोदय ग्राम पंचायत ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. सहायक अभियन्ता महोदय, महानरेगा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. कनिष्ठ अभियन्ता महोदय, महानरेगा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी ।

—-प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 60 / दावा / 2012

1. हरिसिंह
2. नन्दसिंह
3. शिवराज सिंह

...मण सिंह पिसरान स्वर्गीय श्री भैरूसिंह कौम राजपूत निवासीगण ग्राम ठीकरदया तहसील हिण्डौली जिला बून्दी ।

--वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत ठीकरदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ठीकरदा पंचायत समिति हिण्डोली।
2. सचिव, महोदय ग्राम पंचायत ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. सहायक अभियन्ता महोदय, महानरेगा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. कनिष्ठ अभियन्ता महोदय, महानरेगा पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी ।

--प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 22.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 15.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री प्रेमशंकर गुर्जर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री कपूर चन्द सेठिया के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 22.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 15.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा